<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 12/2019

बउनवान

1. ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र बलभद्र, जाति मीणा
2. श्रीमति तुलसीबाई आयु 55 वर्ष बेवा रामकिशन
3. जितेन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र रामकिशन
4. हरिवचन आयु 28 वर्ष पुत्र रामकिशन
5. हेमन्त कुमारी आयु 32 वर्ष पुत्री रामकिशन
6. रिंकू कुमारी आयु 29 वर्ष पुत्री रामकिशन अकवाम मीणा निवासीगण बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट्स)

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली
2. भोजराज पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा, निवासी बामली
3. रामकरण पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली
4. कांतिबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली
5. शान्तिबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली तहसील व जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट्स)

<u>अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 145 दिनांक 21.07.1977 तहसीलदार अन्ता</u>
<u>अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. श्रीबृजकिशोर शर्मा एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट्स)**

<u>निर्णय दिनांक 13.09.2022</u>

जिला कलक्टर बारां (राज०)

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता की आराजी खसरा नंबर 126 रकबा 0.71 है., खसरा नंबर 739 रकबा 0.35 है., खसरा नंबर 775 रकबा 2.43 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.49 है. वर्तमान में अपीलांट कम 1 के पिता व अपीलांट कम 2 के ससुर अपीलांट कम 3 ता 6 के दादा बलभद्र पुत्र पन्नालाल एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 5 के खाते कागजात दर्ज है। जो पन्नालाल की मृत्यु होने पर पन्नालाल [illegible] बलभद्र एवं पुत्री बिरधीबाई के नाम इंतकाल नंबर 461 दिनांक 21.[illegible].2016 [illegible] से दर्ज हुआ है। खातेदार बलभद्र का स्वर्गवास 12.01.2013 को हो गया। बलभद्र के रामकिशन व ओमप्रकाश 2 पुत्र थे, जिनमें रामकिशन का स्वर्गवास हो गया है, उसके अपीलांट कम 2 ता [illegible] है। उभयपक्षकारान की जाति मीणा होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है, इस कारण बिरधीबाई का कोई अधिकार नही था। यदि किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार बिरधीबाई को प्राप्त भी था, तो मीणा जाति होने के कारण उसकी मृत्यु उपरान्त उसके भाई बलभद्र में समाहित हो चुके है। पन्नालाल की मृत्यु 1977 में होने के कारण भी बिरधीबाई आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी नही थी। आराजी खातेदार पन्नालाल की होने से पुत्र बलदेव को अकेले प्राप्त हुई है। अपीलांटस बहैसियत खातेदार वारिस बलभद्र व रामकिशन संपूर्ण आराजी पर काबिज काश्त है। बिरधीबाई की मृत्यु दिनांक 06.07.2005 को हो जाने पर रेस्पोडेन्टस ने विधि विरूद्ध इंतकाल नंबर 461 दिनांक 21.09.2015 से अपना नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने सक्षम न्यायालय में अपील की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 145 दिनांक 21.07.1977 को बिरधीबाई की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मृतक पन्नालाल पुत्र बल्देव जाति मीणा निवासी बालाखेड़ा के खाते की आराजी है। पन्नालाल की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी बलभद्र पुत्र पन्नालाल एवं बिरधीबाई पुत्री पन्नालाल के खाते जरिये नामान्तरकरण संख्या 145 ग्राम बमूलिया जोगियान द्वारा दर्ज की गई। बलभद्र की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र ओमप्रकाश एवं रामकिशन की मृत्यु होने से उसके वारिसान अपीलांट क्रम 2 ता 6 के खाते दर्ज हुई। परन्तु बलभद्र की बहन बिरधीबाई के नाम उक्त आराजी का इंतकाल गलत दर्ज किया गया है क्योंकि बिरधीबाई तत्समय विवाहिता थी तथा मीणा जाति की सदस्य होने से विवाहिता पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 145 दिनांक 21.07.1977 ग्राम बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता जिला बारां बिरधीबाई की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट्स ने विधिक दृष्टांत आरबीजे (28) 2021 पृष्ठ संख्या 394 से 398 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टी.ए./2008/5034/करौली बउनवान मु. रतनबाई बनाम बत्तूलाल में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा इन्तकाल नंबर 145 दिनांक 21.07.1977 ग्राम बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता जिला बारां को निरस्त करवाने हेतु लगभग 45 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी से स[illegible]ण्ड अधिकारी अन्ता में विचाराधीन है। जिसमें प्रस्तुत साक्ष्य से उभयप[illegible] हकूक तय होगें। अपील नामान्तरकरण Fiscal कार्यवाही है[illegible] में विचाराधीन प्रकरण में ही उभयपक्ष के अधिकार [illegible] द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पन्नालाल के फौत होने पर नामातंकरण संख्या 145 दिनांक 21.07.1977 से पन्नालाल के स्थान पर उसके पुत्र बलभद्र व पुत्री बिरधीबाई के नाम से तस्दीक किया गया। इसकी अपील 45 वर्ष पश्चात की गई है। अपीलांट का अपील में कथन है कि अपीलांट स्वंय को खातेदार घोषित करवाने का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन है।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि मीणा जाति में पुरूष सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते है व महिलाओं को विरासत में सम्पत्ति के किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते। इसके समर्थन में उसके द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (28) 2021 पृष्ठ संख्या 394 से 398 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टी.ए./2008/5034/करौली बउनवान मु. रतनबाई बनाम बत्तूलाल में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 भी पेश किया है। परन्तु चूंकि अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में पेश किया हुआ है। जिसमे उनके अधिकार तय होगें। नामातंकरण प्रक्रिया एक Fiscal कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि नियमित वाद के निर्णयानुसर अग्रिम कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested